न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 12/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/45

अनवान्

1. श्री खुमाणचन्द पिता प्रथा पालीवाल ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तहसील मावली।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री किशनलाल पिता प्रथा पालीवाल ब्राहम्ण निवासी गायरियावास पानी की टंकी, मावली तहसील मावली।
2. श्री रमेश पिता प्रथा पालीवाल ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तहसील मावली।
3. श्री लक्ष्मीलाल पिता प्रथा पालीवाल ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तहसील मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का साकरोदा तहसील मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 15.09.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा तहसील मावली की आराजी नम्बर 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316, 319, 320, 321 किता 10 कुल रकबा 2.2987 हेक्टेयर कृषि भूमि मुझ प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 के नाम 1/4 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से दर्ज हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित संयुक्त खाते व कब्जे की कृषि भूमि का प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, बेदखल नहीं करे, बिना बंटवाडा करवाये विशेष भू भाग पर कब्जा नहीं करे, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं [illegible] यथावत् स्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:29 IST
Reason: SelfAttested

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि रेवेन्यु रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित है तथा मौके पर भी हम सभी सहखातेदार एक ही परिवार के सदस्य होने से संयुक्त रूप से ही काश्त करते आ रहे है तथा हमारे मध्य मौखिक या विधिक रूप से उक्त कृषि भूमि का पांती बंटवाडा नहीं कर रखा हैं। प्रार्थी हमारे विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं हैं।

3. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया** कि उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित होने से एवं मौके पर भी विधिक रूप से बंटवाडा नहीं होने से उक्त भूमि में निहित हम विपक्षी संख्या 2 व 3 के 1/4–1/4 हिस्से को विकसित करने में हमको भारी असुविधा एवं कठिनाई हो रही है और काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात में हम हमारे हिस्सा भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अर्थात् अच्छी में से अच्छी एवं खराब में से खराब भूमि के आधार पर बंटवाडा करवाया जाकर हमारे हिस्से की भूमि पर स्वतन्त्र रूप से मौके पर हमें आधिपत्य दिया जावे और हमारे हिस्से की भूमि को खाते में अलग से दर्ज करवाया जावे और हमारे हिस्से की जमीन पर आवागमन करने के लिए पृथक से रास्ता कायम कर रेकार्ड में रास्ता सामलाती रूप से अंकन कराया जावे ताकि हम अपने खाते एवं हिस्से की भूमि का स्वतन्त्र रूप से शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर सके और भूमि को विकसित कर सके और अपने हिस्से की भूमि की सुरक्षा के लिए बाउण्ड्रीवाल, तारबन्दी इत्यादि करवा सकें।

4. यह कि हम विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर हम सहखातेदारान के मध्य मौके पर किसी भी प्रकार से बंटवाडा किया हुआ नहीं है और हम सभी अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 आये दिन हमको हमारी संयुक्त खातेदारी की जमीन के उपयोग उपभोग करने में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा करते है और हमारे द्वारा इनको ऐसा करने से मना करने पर वो हमारे साथ गाली गलोच कर मरने मारने पर आमादा होते है और धमकीयां देते है कि वो हमें इस संयुक्त खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देगे जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम विपक्षीगण प्रार्थी के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी [illegible] के अधिकारी है कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:29 IST
Reason: SelfAttested

1 हम विपक्षी संख्या 2, 3 को हमारी संयुक्त खातेदारी की जमीन का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हमारे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की व्यवधान पैदा नहीं करे, दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहूंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हमारे पक्ष में हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से इन्हे कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हमको अपरिमित एवं अतुलनीय हानि होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में आंकना असम्भव होगा।

5. यह कि हम विपक्षीगण को काउन्टर प्रार्थना पत्र कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ विपक्षी संख्या 2 व 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हमारे पक्ष में एवं प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 हमें प्रार्थना पत्र में वर्णित हमारी संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे की जमीन तथा विधिक रूप से बंटवाडा होने के पश्चात् हमारे हिस्से पांती में आई कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हमारे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे, दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें।
6. अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 21.04.2025 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका हैं। प्रकरण वर्तमान में विपक्षी संख्या 2, 3 के काउन्टर प्रार्थना पत्र में जारी हैं।
7. प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3 की काउन्टर प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा अपनी बहस में काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षी संख्या 2, 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3 की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला—</u>* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। इस प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार के रूप में काश्तकार हैं। विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा बंटवाड़ा एवं स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:29 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा का काउन्टर वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदार हैं। उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदारान होने से किसी भी एक पक्ष को पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा संतुलन–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के सहखातेदार प्रार्थी एवं विपक्षीगण है। न्यायालय का यह अभिमत है कि सहखातेदारी की भूमि में यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे एक पक्ष को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा उन्हे अपनी भूमि का विकास करने, ऋण लेने आदि में भी कठिनाई होगी। उभय पक्षकारान सहखातेदार होने से यदि मात्र प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को पाबंद किया जाता है तो इससे प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 के साथ कुठाराघात होगा। चूंकि विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज एवं ठोस कारण नहीं बताया जिससे यह प्रतीत होता हो कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु विपक्षी संख्या 2, 3 अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति का बिन्दु* – चूंकि वाद वर्णित भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम सहखातेदार के रूप में हिस्सेनुसार दर्ज है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है इसलिए यदि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न होगी। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 सहखातेदार होने से इन्हे अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू विपक्षी संख्या 2, 3 अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 305, 306, [illegible], 314, 315, 316, 319, 320, 321 किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:29 IST
Reason: SelfAttested

10 कुल रकबा 2.2987 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम सहखातेदार के रूप में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा मूल काउन्टर वाद बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। विपक्षी संख्या 2, 3, प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी संख्या 2, 3 का कथन है कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने पर आमादा है न्यायालय इससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने पर आमादा होते तो अब तक हस्तान्तरण कर चुके होते परन्तु विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण कर दी गई हो। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि विपक्षी संख्या 2, 3, प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं इसलिए यदि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के विकास करने, ऋण आदि लेने, उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगे तथा प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति होगी।

शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगें। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्व निर्णित किये गये है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः विपक्षी संख्या 2, 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 2, 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:29 IST
Reason: SelfAttested